कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर

क्रमांक : 74

दिनांक : 19.12.2023

–: कार्यालय आदेश :–

मैं, **प्रकाशचन्द्र मीणा**, लिंक अधिकारी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, इस कार्यालय के **आदेश क्रमांक 72 दिनांक 28.11.2023** में संशोधन करते हुए **दिनांक 23.12.2023** की पूर्व अधिकृत ड्यूटी को निरस्त करता हूँ एवं **माह दिसम्बर, 2023 में दिनांक 23.12.2023** को निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अन्य आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहेंगे, **अन्य के लिये पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा।**

माह दिसम्बर, 2023 हेतु –

1.	23.12.2023	डॉ. पवन कुमार बिश्नोई	अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई), जोधपुर महानगर	9413372233

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट :

(ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टॉफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

19/12/2023

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर

क्रमांक : 01

दिनांक–19.12.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
2. स्थापना शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर।
3. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पीसीपीएनडीटी व सीबीआई जोधपुर महानगर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
7. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।